

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 372] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 1981/कार्तिक 26, 1903
No. 372] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 1981/KARTIKA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 251/सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1981

सा.का.नि. 606(अ) .—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, (1962
का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड 1 के अनुसरण में
भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 223-सीमाशुल्क,
सा. का. नि. सं. 545 (अ) तारीख 1 अक्टूबर, 1981 में, निम्नलिखित और
संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 7

और 9 और उससे सम्बद्ध प्रविशिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,
अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
7	डच गिल्डर	26.23
9	हांग कांग के डालर	60.90

[फा. सं. 503/7/81-सीमा शुल्क-6]

ए. सी. बक, ज्वर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

NO. 251/CUSTOMS

New Delhi, the 17th November, 1981

G.S.R. 606 (E).—In pursuance of sub-clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. 223-Cus. G.S.R. No. 545(E) dated the 1st October, 1981, namely :—

In the Schedule below the said notification —

For serial Nos. 7 and 9 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
7.	Dutch Guilders	26.23
9.	Hong Kong Dollars	60.90

[F. No. 503/7/81-Cus. VI]

A. C. BUCK, Under Secy.